



2026:AHC:2135

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 30506 सन् 2025

अब्दुल्लाह

....याचिककर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: रवितेन्द्र प्रताप सिंह चन्देल, शुभम सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

श्री रवितेन्द्र प्रताप सिंह, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, एवं राज्य की ओर से श्री अरिमर्दन यादव, विद्वान सहायक महाधिवक्ता, को सुना गया तथा प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक, अब्दुल्लाह, की ओर से वाद अपराध संख्या 303 वर्ष 2025 में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/20 के अन्तर्गत, थाना- फेज-II, नोएडा, जिला- गौतम बुद्ध नगर, में जमानत पर रिहाई की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक के कब्जे से 24 किग्रा. गाँजा बरामद होने का आरोप है। वास्तव में आवेदक से ऐसी कोई बरामदगी नहीं की गई। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चूँकि ऐसी बरामदगी किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा समर्थित नहीं है, अतः इस अपराध में उसके मिथ्या फँसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आगे यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्ष एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने में विफल रहा है। रासायनिक विश्लेषक की कोई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिपोर्ट नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे अनावश्यक परेशान करने तथा उत्पीड़ित करने की दृष्टि से वर्तमान अपराध में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। कथित जब्त सामग्री व्यावसायिक मात्रा से मामूली ऊपर है और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त सोबान और समीर हसन को इस न्यायालय की समन्वयी पीठ द्वारा दिनांक 11.12.2025 और 02.12.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 34519 वर्ष 2025 और 31340 वर्ष 2025 में पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक, जो दिनांक 01.07.2025 से जेल में है और जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। जमानत मिलने पर आवेदक जमानत की छूट का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान सहायक महाधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है, किन्तु यह प्रस्तुत किया है कि समान परिस्थितियों वाले उपर्युक्त सह-अभियुक्तों को पहले ही इस न्यायालय द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

प्रकरण के तथ्यों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक आदेश, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, दोषसिद्धि होने पर दण्ड की गंभीरता, अभियुक्त-आवेदक के चरित्र, अभियुक्त के लिए विशेष परिस्थितियों, विचारण में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनसामान्य/राज्य के वृहत्तर हित एवं अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए, किन्तु गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि यह जमानत देने का उपयुक्त प्रकरण है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, आवेदक - **अब्दुल्लाह**, जो उपरोक्त वाद अपराध में सम्मिलित है, को व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो-दो प्रतिभूतियों पर, समान राशि में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक विवेचना अथवा विचारण के दौरान साक्षियों को धमकाने/दबाव देने के द्वारा अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

2. आवेदक किसी स्थगन की माँग किए बिना विचारण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक जमानत पर रिहाई के पश्चात् किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध के कारित करने में लिप्त नहीं होगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

बन्धपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं प्रतिभूतियों की पहचान, स्थिति और आवासीय प्रमाण की सत्यापन की जाएगी।

06 जनवरी, 2026

विनोद

(न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव)